



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/2966.

दिनांक:- 16/06/2022

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 07.06.2022 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई. इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (07.06.2022)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 11.05.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

जोन पूर्व

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.06.2022	पूर्व	बनाड	286/09	01.02.12	आवासीय एकल
आवेदक	श्री भंवर लाल पुत्र श्री किशनाराम चौधरी				
विषय:-	राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 286/09 रकबा 01.02.212 बीघा में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की 60 मीटर सड़क से पहुच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अतः सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे। सड़क मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखा जावे।2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 हैठ से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।3. आवेदित भूमि पर मौके पर किये गए निर्माण के संबध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 के क्रम में निर्धारित शास्ति वसूल की जावे तथा अनाधिकृत निर्माण एक साल में हटाये जाने बाबत शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे।4. मौके पर सड़क मार्गाधिकार में किये गये आनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही पट्टा विलेख जारी किया जावे।5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेन्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.06.2022	पूर्व	जालेली चम्पावता	50/5	06.10.00	नॉन पाल्यूटिंग हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज
आवेदक	श्री राजू जांगिड पुत्र श्री हनुमानराम, श्री अनिल जांगिड पुत्र श्री हनुमानराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम जालेली चम्पावता के खसरा संख्या 50/5 रकबा 06.10.00 बीघा में नॉन पाल्यूटिंग हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर आरक्षित है। अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित की जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। 2. आवेदित भूमि के पूर्व व पश्चिम दिशा में स्थित सडकों का मार्गाधिकार 40-40 फीट (मध्य से 20 फीट दोनों ओर) रखा जावें। इस बाबत् राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावें। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें अन्यथा उक्त सडकों का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाकर अनुमोदन की कार्यवाही की जावें। 3. आवेदित भूमि पर मौके पर किये गए निर्माण के संबध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 के क्रम में निर्धारित शास्ति वसूल की जावे तथा अनाधिकृत निर्माण एक साल में हटाये जाने बाबत् शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे। 4. मौके पर वृक्षारोपण पट्टी एवम् सडक मार्गाधिकार में किये गये आनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 6. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ ओद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्ड्रीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

एजेन्डा संख्या 04

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.06.2022	पूर्व	बासनी बैन्दा	54/1/1	07.10.00	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स सिल्वर लाईन बिल्डहोम प्रा.जि जरिये श्री हर्षवर्धनसिंह पुत्र श्री करणसिंह				

विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 54/1/1 रकबा 07.10.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना से 60 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा की और स्थित जौजरी नदी की राजस्व रिकार्ड अनुसार स्थिति की आवेदित भूमि से दूरी की रिपोर्ट प्राप्त कर जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान के अनुसार सड़क व वृक्षारोपण पट्टी का अंकन मानचित्र में किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

जोन पश्चिम

एजेण्डा संख्या 01

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.06.2022	पश्चिम	केरु	1137/4, 1137/6	08.14.00	फार्म हाउस
आवेदक	श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी श्री ढलाराम वगैरहा				
विषय:-	राजस्व ग्राम केरुके खसरा संख्या 1137/4, 1137/6 रकबा 08.14.00 बीघा में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राजस्व रिकार्ड एवम् मौका स्थिति में भिन्नता है जिस बाबत् पुनः रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 02

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.06.2022	पश्चिम	गेंवा	595 वगैरहा	33.03.00	आवासीय
आवेदक	श्रीमती मधुबाला चौहान पत्नी श्री सुरेश चौहान निदेशक जरिये करणी डवलपर एण्ड कस्ट्रेक्शन कम्पनी प्रा.लि				


—

विषय:-	राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 595 वगैरहा रकबा 33.03.00 बीघा में आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार जलीये इकाई के सहारे वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर तथा आवेदित भूमि के स्वामित्व की जॉच जोन उपायुक्त से प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 03

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
07.06.2022	पश्चिम	बुझावड	18/1, 471/11	29.00.00	फार्म हाउस योजना
आवेदक	मैसर्स यशोभूमि होम्स एल.एल.पी जरिये भागीदार श्री सिद्धार्थ अग्रवाल पुत्र श्री श्याम अग्रवाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18/1, 18/11 रकबा 29.00.00 बीघा में फार्म हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर है अतः सड़क मध्य से 15 मीटर तक प्रार्थी की भूमि में से निःशुल्क समर्पित करवाई जावें। 2. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है जिसका अंकन मानचित्र में किया जावें। 3. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शित बरसाती नालें को ले-आउट प्लान में दर्शाये अनुसार प्रार्थी द्वारा मौके पर बनाया जाना होगा जिससे पानी का प्राकृतिक बहाव अवरूध नहीं हो। 4. फार्महाउस का पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि यदि भविष्य में जोनल/सेक्टर प्लान की सड़क आवेदित भूमि में से गुजरती हैं तो प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित करनी होगी। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


16/06/2022


उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/2967-2971.
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 16/06/2022

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


14/06/2022


**उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव**

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकर, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2022 की बैठक (जोन पूर्व एवं पश्चिम) दिनांक 07.06.2022 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. डॉ इन्द्रजीत यादव, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जयनारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री नीरज मिश्र उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 7. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य सचिव |


14/06/2022

**उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव**

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291 261208/2612037 Fax 021 2612086

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2022/

दिनांक ::

:: संशोधित कार्यवाही-विवरण ::

बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 07.06.2022 में एजेण्डा संख्या 02 आवेदक श्री भंवर लाल पुत्र श्री किशनाराम चौधरी की पत्रावली राजस्व ग्राम बनाड खसरा संख्या 286/09 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा 12 बिस्वासी जोन पूर्व का ले-आउट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। उक्त बैठक के दिनांक 16.06.2022 को जारी बैठक कार्यवाही विवरण में टंकनीय त्रुटिवश शर्त संख्या 01 में निम्नानुसार अंकन हो गया है।

"आवेदित भूमि को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की 60 मीटर सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अतः सडक मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखा जावे।"

अतः भविष्य में बैठक दिनांक 07.06.2022 के कार्यवाही विवरण में शर्त संख्या 1 के स्थान पर निम्नानुसार पढा जावे :-

"आवेदित भूमि को जोनल डवलपमेंट प्लान की 36 मीटर सडक से पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है अतः सडक मध्य से 18 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि निशुल्क समर्पित करवायी जावे।"

इस कार्यवाही-विवरण को बैठक कार्यवाही विवरण का अंगशुमार माना जावे। उक्त संशोधित कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक :: 30/6/22

क्रमांक: एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2022/3123-3127

प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, (आयुक्त महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, (सचिव महोदय), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री राहुल सांखला को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।

उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर